संख्या-18/2021/847/96-आयुष-1-2021-459/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 05 मार्च, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-197/373/2019-20/योजना; दिनांक 17.02.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक : 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें 101-आयुर्वेद 10-राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध हेतु उन्नति केन्द्र के निम्नलिखित मानक मदों में उनके सापेक्ष प्राविधानित धनराशि के अनुसार कुल धनराशि रू0-28.00 लाख की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं कि प्रकरण में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

मानक मद	**प्राविधानित धनराशि**
08-कार्यालय व्यय	0.50 लाख
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50 लाख
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00 लाख
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	14.00 लाख
39-औषधि तथा रसायन	2.00 लाख
42-अन्य व्यय	1.00 लाख
योग	**28.00 लाख**

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-18/2021/847(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।